सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 श्रावण, 1937 (श०)

संख्या **591** राँची, गुरुवार

12 अगस्त, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

5 अगस्त, 2015

सं0- **06A** / न0वि0/**AMRUT-02/2015- ..2740..** शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन" (अमृत) नामक योजना प्रारम्भ की गई है। प्राप्त दिशानिर्देश के अनुसार, इस योजना के तहत् झारखण्ड राज्य के जनगणना 2011 के आधार पर एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले ग्यारह शहरी निकायों को उक्त योजना के तहत् अंगीकृत करते हुये विकसित करने का लक्ष्य है।

उक्त योजना के कार्यान्वयन के क्रम में योजनाओं का अनुमोदन, निधिकरण एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
3	प्रधान सचिव/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	सदस्य
4	प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग	सदस्य
5	प्रधान सचिव/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग	सदस्य
6	प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग-सह-राज्य मिशन निदेशक	सदस्य सचिव

उपर्युक्त उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होगें:-

i. **Service Level Benchmarks (SLB)** के आधार पर अवस्थापना मे कमियों का पता लगाना, व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमता निर्माण की आवश्यकता, शहरी सुधार के लक्ष्य प्राप्त करने के उपाय, मिशन के शहरों/कस्बों के वित्तीय परिव्ययों इत्यादि को अंतिम रुप देना।

ii. प्रत्येक वर्ष उपलब्ध संसाधनों के आधार पर राज्य के प्राथमिकता वाले शहरों और परियोजनाओं के शहरी स्थानीय निकायों की SLIP (Service Level Improvement Plan) के आधार पर SAAP (State Annual Action Plan) तैयार करना जैसा कि मिशन के विवरण और दिशा निर्देशों में निर्धारित किया गया है।

iii. राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा तकनीकी रुप से आकलित और संस्वीकृत करने के पश्चात् परियोजनाओं को अनुमोदित करना।

iv. लघु, मध्यम और दीर्घावधि में निधि प्रवाह की योजना बनाना। परियोजनाओं के निधीकरण के लिए संसाधन जुटाने, निजी वित्तपोषण और भूमि बढ़ाने हेतु नवीन तरीकों का पता लगाना।

v. केन्द्र सरकार के अनुदान के अतिरिक्त परियोजनाओं हेतु राज्य और शहरी स्थानीय निकाय के अंश के हिस्से को तय करना।

vi. खराब गुणवत्ता, पर्यवेक्षण की कमी और अन्य उल्लंघनों की शिकायतों की जांच-पड़ताल करना। तृतीय पक्ष आकलन कर्ताओं और अन्यों के द्वारा कार्य की गुणवत्ता मूल्यांकन की रिपोर्टों को अनुश्रवण करना और अपने स्तर पर कार्रवाई करना।

vii. राष्ट्रीय मिशन निदेशालय को चल रही परियोजनाओं के लिए निधियों की किस्त जारी करने हेतु प्रस्ताव संस्तुत करना।

viii. **एक वित्तीय मध्यवर्ती संस्था स्थापित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई, परियोजनाओं के निष्पादन के लिए केन्द्रीय और राज्य के हिस्से से निधियों को समय पर आवंटित करना और उनको जारी करना ।**

ix. **शीर्ष समिति के अनुमोदनार्थ राज्य/शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप और उपलब्धियों की सिफारिश करना । राज्य शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर प्रतिबद्ध शहरी सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना ।**

x. **शहरी स्थानीय निकायों में परियोजना के कार्यान्वयन समेत मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति को अनुश्रवण करना ।**

xi. **मिशन के अंतर्गत स्वीकृत और पूरी की गई परियोजनाओं के परिणाम औरा O & M व्यवस्थाओं को मॉनिटर करना ।**

xii. **समय-समय पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा करना ।**

xiii. **जारी की गई निधियों की समय पर लेखा परीक्षा आयोजित करना और पहले के मिशन तथा मिशन से संबंधित विभिन्न लेखा परीक्षा की रिपोर्टों तथा तीसरे पक्ष, परियोजना विकास और प्रबंधन परामर्शदाताओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के चुने गए प्रतिनिधियों की रिपोर्टो समेत अन्य रिपोर्टो पर की गई कार्रवाई की रिपोर्टो की समीक्षा करना ।**

xiv. **मिशन के कार्यक्रम के बेहतर नियोजन और कार्यान्वयन के लिए अंतर-संगठन समन्वय और सहयोग स्थापित करना ।**

xv. **राष्ट्रीय मिशन निदेशालय द्वारा उल्लिखित अथवा मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किसी भी प्रकार का अन्य प्रासंगिक मामलों पर कार्रवाई करना।**

xvi. **न्यायालयों में कानूनी मुद्दे/मामले, यदि कोई हो तो उनकी निगरानी करना ।**

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 591—50।